

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
सीएल-। अनुभाग

सं. 1/27/2013-सीएल-। (पी)
नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी, 2026

सार्वजनिक सूचना

कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 12 के उप-नियम (1) में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संस्था (आरवीओ) की मान्यता हेतु पात्रता मानदंडों का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि किसी आरवीओ का रजिस्ट्रीकरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत होना चाहिए, जिसका एकमात्र उद्देश्य किसी आस्ति वर्ग अथवा आस्ति वर्गों के मूल्यांकनकर्ताओं के विनियमन से संबंधित विषयों का निपटान करना हो तथा उसके उपनियमों में नियमों के अनुलग्नक-III में विनिर्दिष्ट आवश्यकताएँ निहित हों। तथापि, आरवीओ के रूप में मान्यता हेतु किसी न्यूनतम शेयर पूँजी मानदंड का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है।

कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक एवं मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 12 (1) (i) में संशोधन करने के लिए आरवीओ की मान्यता हेतु न्यूनतम चुकता शेयर पूँजी का मानदंड निर्धारित किए जाने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में, नियम में संशोधन कर आरवीओ के लिए न्यूनतम पच्चीस लाख रुपये की चुकता शेयर पूँजी की आवश्यकता निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान आरवीओ को इस नई आवश्यकता के अनुरूप ढालने के लिए 31 मार्च, 2028 तक का समय दिए जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, नियमों में संशोधन का प्रस्ताव करने वाली एक प्रारूप अधिसूचना तैयार की गई है और उसे मंत्रालय के पोर्टल अर्थात् www.mca.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है।

इस प्रारूप संशोधन पर स्टेकहोल्डरों से सुझाव/टिप्पणियाँ आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। प्रारूप संशोधन अधिसूचना पर संक्षिप्त औचित्य सहित सुझाव/टिप्पणियाँ, अंतिम रूप से, 05 मार्च, 2026 तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ई-परामर्श मॉड्यूल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं।

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
मसौदा अधिसूचना

नई दिल्ली, फरवरी, 2026

सा.का.नि.(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458, 459 और धारा 469 के साथ पठित धारा 247 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) संशोधन नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 12 में, उप-नियम (1) में खंड (i) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i) यह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के तहत रजिस्ट्रीकृत किया गया है, जिनके पास-

(क) न्यूनतम पच्चीस लाख रुपये की चुकता शेयर पूँजी;
(ख) किसी आस्ति वर्ग या आस्ति वर्गों के मूल्यांककों के विनियमन से संबंधित मामलों से निपटने का एकमात्र उद्देश्य; तथा
(ग) उप-नियम जिनमें अनुलग्नक-III में विनिर्दिष्ट आवश्यकताएं शामिल हों।

परंतुकि, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संस्थान जिसके पास कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) संशोधन नियम, 2026 के आरंभ की तारीख को विनिर्दिष्ट न्यूनतम चुकता पूँजी नहीं है तो वह 31 मार्च, 2028 को या उससे पहले इस आवश्यकता को पूरा करेगा”।

[फा.सं. 1/27/2013-सीएल-V(पार्ट)]

(बालामुरुगन डी.)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3 के उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1316(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 155(अ), तारीख 9 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 559(अ), तारीख 13 जून, 2018, सा.का.नि. 925(अ), तारीख 25 सितंबर, 2018 सा.का.नि. 1108(अ), तारीख 13 नवंबर, 2018 तथा सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
CL-I Section
No. 1/27/2013-CL-V(P)
New Delhi, the 2nd February, 2026

Public Notice

Rule 12(1) of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, provides for the eligibility criteria for recognition of Registered Valuers Organisations (RVOs). It, inter alia, stipulates that an RVO must be registered under section 25 of the Companies Act, 1956, or section 8 of the Companies Act, 2013, with the sole object of dealing with matters relating to regulation of valuers of an asset class or asset classes and has in its bye laws the requirements specified in Annexure- III of the Rules. However, it does not specify any minimum share capital criteria for recognition as an RVO.

Suggestions have been received for amending rule 12(1)(i) of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 for prescribing a minimum paid-up share capital criteria for recognition of RVOs. In this regard, it is proposed to prescribe ₹25 lakh minimum paid-up share capital requirement for RVOs by amending such rule. A period upto 31st March, 2028 is proposed to be given to existing RVOs to align with this new requirement. Accordingly, a notification proposing amendment in the rules has been prepared and is made available on the portal of the Ministry i.e. www.mca.gov.in.

It has been decided to invite suggestions/comments on such draft amendment from stakeholders. Suggestions/comments on the draft amendment notification along with justification in brief may be sent latest by 05th March, 2026 through e-Consultation Module on the website of Ministry of Corporate Affairs.

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the ____ February, 2026

G.S.R.....(E).-In exercise of the powers conferred by section 247 read with sections 458,459 and 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Companies (Registered Valuers and Valuation) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, in rule 12, in sub-rule (1), for clause (i) the following shall be substituted, namely:-

“(i) it has been registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), having -

(a) a minimum paid-up share capital of twenty-five lakh rupees;

(b) the sole object of dealing with matters relating to regulation of valuers of an asset class or asset classes; and

(c) bye laws containing the requirements specified in Annexure –III.

Provided that a registered valuer organization which does not have the specified minimum paid-up capital as on the date of commencement of the

Companies (Registered Valuers and Valuation) Amendment Rules, 2026 shall comply with this requirement on or before 31st March, 2028”.

[F.No.1/27/2013-CL-V(Part)]

(Balamurugan D.)
Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, G.S.R. 1316(E), dated the 18th October, 2017 and subsequently amended, *vide* G.S.R. 155 (E), dated the 9th February, 2018, G.S.R. 559 (E), dated the 13th June, 2018, G.S.R. 925(E), dated the 25th September, 2018, G.S.R. 1108(E), dated the 13th November, 2018 and G.S.R. 831(E), dated the 21st November, 2022.